


शुद्धिपत्र

इस समाचार पत्र में दिनांक 13.08.2017 को हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एलपीजी वितरकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

1. क्रम सं. 21 पर विज्ञापित स्थान 'कोटला' की श्रेणी को 'ओबीसी' से बदल कर 'ओपन' कर दिया गया है। तदनुसार इस के अंतर्गत प्रतिभूति राशि को 3 लाख से बदल कर 4 लाख कर दिया गया है।
2. क्रम सं. 29 पर विज्ञापित स्थान चिन्तपुरी की ग्राम पंचायत का नाम चिन्तपुरी के स्थान पर 'नारी चिन्तपुरी' पढ़ा जाए।
3. क्रम सं. 34 पर विज्ञापित स्थान 'समतानाकलाँ' की श्रेणी को 'ओपन (जीपी)' से बदल कर 'ओपन' कर दिया गया है।
4. क्रम सं. 45 पर विज्ञापित स्थान नम्होल का ब्लॉक नम्होल के स्थान पर 'सदर' पढ़ा जाए।

उपरोक्त स्थानों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि- 12.09.2017 से बढ़ा कर 03.10.2017 की जाती है।



शुद्धिपत्र

इस समाचार पत्र में दिनांक 13.08.2017 को हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एलपीजी वितरकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

1. क्रम सं. 21 पर विज्ञापित स्थान 'कोटला' की श्रेणी को 'ओबीसी' से बदल कर 'ओपन' कर दिया गया है। तदनुसार इस के अंतर्गत प्रतिभूति राशि को 3 लाख से बदल कर 4 लाख कर दिया गया है।
2. क्रम सं. 29 पर विज्ञापित स्थान चिन्तपुरणी की ग्राम पंचायत का नाम चिन्तपुरणी के स्थान पर 'नारी चिन्तपुरणी' पढ़ा जाए।
3. क्रम सं. 34 पर विज्ञापित स्थान 'समतानाकलों' की श्रेणी को 'ओपन (जीपी)' से बदल कर 'ओपन' कर दिया गया है।
4. क्रम सं. 45 पर विज्ञापित स्थान नम्होल का ब्लॉक नम्होल के स्थान पर 'सदर' पढ़ा जाए।

उपरोक्त स्थानों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि- 12.09.2017 से बढ़ा कर 03.10.2017 की जाती है।